

शुभर (लेख / २०२१)

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम

क्रं	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी.ओ.
पुर्ण	<p>पत्रिका की कसब कोट्टे जंदाक साजोधा में पेश पत्रिका की पाठना हो-युकी है (इसकी पत्रिका डरक की उधरी है साजोधा कसब शुभर होकर कसब ले काम हो लया वा रकमीन कीस्य कसब हो (ए)</p>

आमंत्रण पत्र
 का.सं. १४ / ग.सं. निर्दि. [१] २१-५-२०११ व फर्चाई २१-५-२०११

अध्यापक ३५ स्वयं आधिपतारी कोटकासिम जिला अलवर (रज.)
 आधिपतारी - श्री रामजीलाल यादव R.A.S

दस्ता संख्या - ५१/१०

दिनांक - २१-५-२०११

दिनांक - ०५-५-२०१०

अनुदान

- [१] अमरासिंह
- [२] आधिपतारीलाल पुत्रांन सोमवार जाते अहीर निवासी स्वामपुर अहीर तहसील मुण्डावर जिला अलवर (रज.)

- जारी

नाम

- [१] रमेश चंद पुत्र लक्ष्मीचंद जाते स्वामी निवासी बिर्जापुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर (रज.)
- [२] किशोर विनायक
- [३] विनयराज विनायक पुत्रांन पुंजूराम जाते स्वामी निवासी बिर्जापुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर (रज.)
- [४] वृषण कुमार पुत्र तुलीचंद जाते स्वामी निवासी बिर्जापुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर (रज.)
- [५] रोहताश पुत्र हेमराज जाते अहीर निवासी स्वामपुर अहीर तहसील मुण्डावर जिला अलवर (रज.)
- [६] रमेश कुमार
- [७] सोहनलाल पुत्रांन सोहनलाल जाते स्वामी निवासी बिर्जापुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर (रज.)
- [८] जयसिंह पुत्र बुरगी जाते अहीर निवासी स्वामपुर अहीर तहसील मुण्डावर (अलवर)
- [९] श्री चमणदेव देवा रामचणुदेव
- [१०] सतबीर
- [११] शैलज
- [१२] शिवकुमार
- [१३] लालराज पुत्रांन रामचणुदेव जाते अहीर निवासी स्वामी तहसील मुण्डावर (अलवर)
- [१४] मदनलाल
- [१५] तुन्नीलाल
- [१६] हरिचंकर पुत्रांन पुंजूराम
- [१७] तिलोकचंद



अधीपतारी
 (अलवर) राज.

प्रमाणित किया गया
 पत्रिका चूना

प्रमाणित प्रति
 अधीपतारी कोटकासिम

[18] काकाबाई पुत्रीयान पुत्रशुभम जाते असोडा निवासी मिर्जापुर दल हावद
डब्ल्यू आ काकाबाई फरीदबाद (सदरे)

[19] राजस्थान सरकार जाते श्रीमान जिलधीन मदीय अलवर (रजठ)

[20] श्रीमान लक्ष्मीनर (लंडन डोक्टर) कोटवासीम (बलापर) रजठ


- प्रतिवादी

दया करेकर हाका मय दुसम इन्वेस्ट डवामी श्री. द्या. 88, 89 वा
188 राजस्थान कायदवासी अधिनियम 1955

अप्रीत :-

मिलान किया गया

1. श्री दुलीचंद शिखा, श्री सरीना माक्ष आभेबाबा वादीगण


 मुन
ने

वादीने मय वकील इन्वेस्ट डवामी दया वाद करे मयालय में

श्री. द्या. 88, 89 वा 188 R.T. Act का डल अलवर का पेश किया कि विवाहे डां
सुप्रीम नं० 374/6-08, 463/1-04, 468/0-08, 469/0-15, 470/0-07,
472/0-10, 577/0-05, 944/0-19, 947/0-08, 950/0-11, 983/0-11, 987/0-03,
988/0-03, 989/0-05, 990/0-12, 991/0-19, 1000/0-10, 1002/0-04, 1003/0-04,
1004/0-04 मुल केता 20 सखा 15 बीहा 10 बिस्वा पार्क राम मिर्जापुर लक्षील
मिर्जापुर-वाल दल कोटवासीम में मरणवासी कायद, पुत्र चन्नाशम जाते सरी
को राज्य सरकार हाथ आंवेरी की गई वा उमर आरजी पर कायेश वा कायेश
करते रहे। कायेश पुत्र चन्नाशम की पत्नी बिसुदीबाई ने राज्य सरकार की
कायेश कायेश अधा करते दिनांक 3-6-1967 को सभर संख्या 67 मुल की अंतरे वा
से कायेश कायेश वाय गई। बिसुदीबाई वेवा कायेश जाते सरी निवासी
मिर्जापुर ने अपना कुसुमार राम सखचंद पुत्र शीचीराम को दिनांक 4-6-69 को
बना दिया मयां की बिसुदीबाई कु कु बीने वा कारण अपनी आरजी की देस देस
करने में असमर्थ थी। तलमिरे उसकी देस देस वा सेवा रल व रलस कायेश
सखचंद पुत्र शीचीराम जाते सरी निवासी मिर्जापुर दल हावद से रज-5 फरीदबाद
दहीशवा था। बहीशवा कुसुमार राम बिसुदीबाई की ओर से सखचंद पुत्र
शीचीराम ने मुल केता 20 सखा 15 बीहा 10 बिस्वा आरजी का जाते रलस
मयाभा दिनांक 29-5-70 को प्रतिवादी सं. 1 रमेराचंद को 2/3 हिस्सा तथा
प्रतिवादी सं. 2 व 3 को 1/3 हिस्सा वा बेवाज कर दिया,

विवाहे आरजी में से रमेराचंद पुत्र लक्ष्मीचंद कुंठ हावेवादी सं. 2 व 3

के सखा पिता देकुअल में अपनी सरीदकुहा अंमली में सं साकेन नं० 374/0-19,
377/0-08, 950/0-11, 983/0-11, 987/0-03, 988/0-03, 989/0-05 मुल केता
T मुल सखा 3 बीहा पार्क राम मिर्जापुर लक्षील मिर्जापुर-वाल दल कोटवासीम



दया खण्ड अधिकारी

उपलब्ध अधिकारी

लगावारे -

